

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सितामढ़ी के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) तथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 3,00,000/- (तीन लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 4,00,000/- (चार लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र.सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि         | आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या | श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक | पता/मोबाईल नं०                                                             | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी | स्वीकृत अनुदान की राशि        | मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.      | 2.                                                       | 3.                                          | 4.                              | 5.                                                                         | 6.                         | 7.                                | 8.                            | 9.                                            |
| 01      | स्व० संजीवन बैठा, 45, जगदीश बैठा, अनुसूचित जाति          | राम राजी देवी, (पत्नी)                      | 151, 05.02.2026                 | ग्रा०+पो०-नया टोला, थाना+प्रखण्ड-बोखड़ा, जिला-सितामढ़ी 7739438449          | 1001141 0100027 65         | UBGB, PUNB0 MBGB 06               | रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, किसानी का कार्य             |
| 02      | स्व० फूलो देवी, 49, बुधन राम, अनुसूचित जाति              | बुधन राम, (पति)                             | 684, 26.05.2026 186, 13.02.2026 | ग्रा०-बरियारपुर, पो०+थाना+प्रखण्ड-डुमरा, जिला-सितामढ़ी 7484478337          | 4353308 2536               | SBI, SBIN0 006446                 | रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर                |
| 03      | स्व० सूरेश राम, 33 रामचन्द्र राम, अनुसूचित जाति          | पिकाकी देवी, (पत्नी)                        | 684, 26.05.2026 192, 13.02.2026 | ग्रा०+पो०+थाना+प्रखण्ड-रुन्नीसैदपुर जिला-सितामढ़ी 7294156100               | 4497101 1001245 0          | BOI, BKID0 004497                 | रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए)  | दुर्घटना मृत्यु, जूता-चप्पल मरम्मत का कार्य   |
| 04      | स्व० रवि पासवान, 29, रामेश्वर पासवान, अनुसूचित जाति      | रंगीला कुमारी, (पत्नी)                      | 248, 23.02.2026                 | ग्रा०-धनकौला, पो०-हरपुरवा, थाना+प्रखण्ड-बाजपट्टी, जिला-सितामढ़ी 8676865061 | 1990810 0019231            | BOB, BARB0 HARSI T                | रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर                |
| 05      | स्व० स्वरूप पासवान, 60, स्व० बलदेव पासवान, अनुसूचित जाति | उर्मिला देवी, (पत्नी)                       | 325, 10.03.2026                 | ग्रा०+पो०-भंडारी, थाना+प्रखण्ड-बेलसण्ड, जिला-सितामढ़ी 9801798213           | 3291474 3168               | SBI, SBIN0 004654                 | रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर                |



|    |                                                                |                            |                    |                                                                                        |                          |                         |                                        |                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 06 | स्व० रामफल<br>राम, 58, स्व०<br>रघुनाथ राम,<br>अनुसूचित<br>जाति | सुशीला<br>देवी,<br>(पत्नी) | 327,<br>10.03.2026 | ग्रा०+पो०-पोखरैरा,<br>थाना+प्रखण्ड-<br>बोखडा,<br>जिला-सीतामढ़ी<br>7645090263           | 1790001<br>7000274<br>26 | PNB,<br>PUNB0<br>179000 | रु०<br>50,000/-<br>(पचास हजार<br>रुपए) | स्वाभाविक<br>मृत्यु,<br>पशुपालन<br>का कार्य      |
| 07 | स्व० मुकेश<br>राम, 30, गणेश<br>राम,<br>अनुसूचित<br>जाति        | रीफा<br>देवी,<br>(पत्नी)   | 369,<br>19.03.2026 | ग्रा०+पो०-पंडौल<br>बुजुर्ग,<br>थाना+प्रखण्ड-<br>नानपुर,<br>जिला-सीतामढ़ी<br>8540866653 | 1790001<br>7002250<br>59 | PNB,<br>PUNB0<br>179000 | रु०<br>50,000/-<br>(पचास हजार<br>रुपए) | स्वाभाविक<br>मृत्यु,<br>राजमिस्त्री<br>का हेल्पर |

कुल :- रु० 4,00,000/-

(चार लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर उपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-70/2025(अंश-'ख')-787

पटना, दिनांक :- 15/06/2026

**प्रतिलिपि :-** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 4,00,000/- (चार लाख रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, सितामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 15-06-2026 12:34:06

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक